# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

<u>अपील संख्या 509/2015/जयपुर</u>
अपील संख्या 510/2015/जयपुर

मैसर्स सेमसंग इण्डिया इलैक्ट्रोनिक्स प्राoलिo,

एस–4, एन एण्ड मून चैम्बर्स, लिक रोड, गोपालबाडी, जयपुर। बनाम

श्री डी.पी.ओझा, उप राजकीय अभिभाषक।

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,

प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त प्रथम, जयपुर।

2. अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, जयपुर।

## <u>खण्डपीठ</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u> श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थितः श्री सिद्धार्थ रांका, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27.07.2017

### निर्णय

1. प्रस्तुत दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 23.02.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 21.07.2014 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में से बैटरी एवं एडोप्टर/चार्जर पर आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखे जाने को विवादित किया है। उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :--

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	क.नि.वर्ष	The second se	ब्याज
509/15		12-13	1,21,22,139	26,66,871
510/15	166/अपील्स-II/आरवीएटी	13-14	3,15,23,019	31,52,302

2. प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से

निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है। 3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी फर्म के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 21.03.2014 को किये जाने पर पाया कि व्यवहारी द्वारा टेबलेट की बिक्री अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ के पार्ट—ए की प्रविष्टि संख्या 3 व 12 के तहत 5 प्रतिशत की दर से की गयी है तथा बैट्री व चार्जर का विक्रय अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ के पार्ट ए की प्रविष्टि संख्या 28 के तहत 5 प्रतिशत की दर से किया गया है। सशक्त अधिकारी द्वारा माना गया कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद टेबलेट एवं बैट्री/चार्जर अधिनियम की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं षष्टम में अधिसूचित वस्तु नहीं होने के कारण यह अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में उक्त तालिका अनुसार 9 प्रतिशत की दर से अंतर कर एवं व्याज का आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गयी। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी क समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपीलें बिक्रीत उत्पाद टेबलेट/आईपेड को अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ के पार्ट ए की प्रविष्टि संख्या 3 से आच्छादित

लगातार.....2

Jun : 11/11/17

....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थीगण

#### अपील संख्या 509 एवं 510/2015/जयपुर - 2 -

मानते हुए इस बिन्दु पर आरोपित अन्तर कर, ब्याज एवं धारा 61 की शास्त को अपास्त किया तथा बैटरी एवं एडोप्टर/चार्जर पर आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। 4.

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने 5. बेट्री चार्जर एवं बेट्री पर सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित सामान्य कर को यथावत रखना अनुचित एवं अविधिक है। उक्त दोनों ही आइटम कम्प्यूटर के पाटर्स की श्रेणी में आते है तदनुरूप इन पर कर दर अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ–ए की प्रविष्टि संख्या 28 के अन्तर्गत 5/5.5 प्रतिशत कर देय है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

1. The High Court of Jaipur Bench Jaipur S.B. Revision Petition No. 129 of 2012 M/s Marathon India Ltd Vs Commercial Taxes Department, Circle "J", Jaipur Dated 02-12-2016 2. Gujrat High Court Vikas Traders Vs The State of Gujarat Dated July 31, 1975

3. The High Court of Jaipur Bench S.B. Sales Tax Revision No. 297/2011 Assistant Commercial Tax Officer, Zone-II, Ajmer Vs M/s Swastik Agencies, Ajmer Date 16-08-2015

4. Supreme Court of India Assistant Commercial Tax Officer Zone-II, Ajmer Vs M/s Swastik agencies, Ajmer Date 28-03-2016.

5. [2014] 45 taxmann.com 111(Karnataka) High Court of Karnataka Vs Mysore Thermo Electric (p.) Ltd. March 21, 2014.

6. In the High Court of Jodhpur ACTO, Ward-I, Circle-C, Jodhpur Vs M/s Industrial Instruments, Jodhpur S.B. Civil Revision (Sales Tax) No. 331/2005 Feb. 14,2013

7. Supreme Court of India Assistant Commercial Taxes Officer Vs M/s Industrial Instruments, Jodhpur Dated 21.01.2015

8. 1981 U.P.T.C.-974 Sales Tax Revision No. 103 of 1978 Dated 14 May 1981 Commissioner of Sales Tax Vs Banaras Battery Works

9.Madras High Court Tax Case (Revision) No. 24 of 1978 Premier Instruments Coimbatore Limited Vs State of Tamil Nadu Date September 14, 1983

10. Rajasthan Tax Board, Ajmer Appeal No. 733/2000/Ajmer Ms Kiran Battery Company Vs Asstt. comer. Taxes Officer Dated 31.01.2003

11. (2003) 2 Supreme Court Cases 371 AIR 2003 SC 986 (2003) 152 ELT 3 G.S. Auto International Ltd Vs Collector of Central Excise Chandigarh Dated 15.01.2003.

12. In the Supreme Court of India Appeal No. 11486-11487 of 2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd.

उन्होंने निवेदन किया कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.12.2016 में बैटरी को सामान्य कर दर से निर्धारित नहीं करते हुए अनुसूची चतुर्थ के तहत निर्धारित किया है, अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इन प्रकरणों में भी बैटरी की कर दर होगी। उन्होंने कथन किया कि बैट्री चार्जर के बिना लेपटॉप/आईपेड संचालित ही नहीं हो सकते है, अतः इन पर भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का उपरोक्त उद्धरित निर्णय के सिद्धान्त लागू होने से 5/5.5 प्रतिशत की करदेयता लागू होगी। उन्होंने उक्त निर्णयों के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित 6. आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि टेबलेट/आईपेड के साथ विक्रय की गई बैट्री चार्जर पर कर देयता किस दर से निर्धारित होगी। इस संबंध में हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर त्रिमान्मा प्राण २२७२)७२

## अपील संख्या 509 एवं 510/2015/जयपुर

द्वारा पारित निर्णय एस.बी. एसटीआर पिटीशन नं0 129/2012 मैराथॉन इण्डिया लि0 बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 02.12.2016 में बैटरी पर निर्णय पारित किया गया है, जिसके अनुसार बैटरी पर करदेयता 4/5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय का सुसंगत विवरण निम्नानुसार है :--

- 3 -

occasion to consider a case where battery which was fitted into a Motor Car and this court, after taking into consideration few of the judgments, held that same rate is to be applied on sale of batteries as that of a motor Car, though there was a finding that the batteries which are to be fitted in Motor Cars can be used for other diverse purposes then too, this court came to the conclusion that a nominal sale be that as it may of such batteries could not alter the nature of the transaction, whereas in the instant case there is a specific certificate of the Army Authority that the said battery can only be used as a part/integral part of RCRs, addmittedly entire sale is to the ARMY only and for specific use alone.

.....

-5

In the case of Vikas Traders V. The State of Gujarat (supra), the court took into consideration as to whether batteries were component parts and there was a finding that batteries were being used for tractors as well, and tractor being not motor vehicle, therefore, claim of the Revenue was that different rate would apply, however, the court analysing the provisions, came to the conclusion that battery specifically falls as component part even though it has been used in a tractor and thus directed to apply the same rate.

The Allahabad High Court in the case of Tudor India Limited V. State of U.P.2014 SCC Online All 11944, had also a occasion of considering sale of automotive batteries and held that battery is an essential component for the functioning of tractor and is an integral part of tractor and, therefore, the same rate was required to be applied.

The Allahabad High Court in the case of Commissioner of Sales Tax V. Banaras Battery Works 1981 U.P.T.C 974, had an occasion to consider whether battery is an accessory or a part and it held that while an accessory has been held to be an article which is used for convenient and smooth functioning, whereas a battery caanot be said to be an accessroy rather a vehicle is not complete without battery as the vehicle cannot operate without a battery, therefore, battery is a component part of motor vehichle and held that same rate is applicable.

The judgment in the case of State of Uttar Pradesh & Anr. V. Kores(India) Ltd. (supra) was relating to ribbon used in a typewriter, and the court found as finding of fact that it was an accessory and not a part of typewriter(unlike spool), though it may not be possible to use the latter without the former. The apex court also found that typewriters are being sold in market without a typewriter ribbon and, therefore, typewriter ribbon si not an essential part of typewriter so as to attract a lower rate of tax, and facts are distinguishable as in the instant case it is an integral part of RCR and cannot be separated.

Taking into consideration the aforesaid and for the reason assigned, the claim of assessee, in my veiw, appears to be just and proper and the rate of 4% was rightly paid by the assessee and is not required to be interfered with. The petition succeeds and the order of Tax Board dt 28.03.2012 is reversed."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय इन प्रकरणों पर पूर्णतया बाध्यकारी एवं आच्छादित है। अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत बैटरी पर 4/5 प्रतिशत की दर से ही कर देयता विधिसम्मत है। अतः इस बिन्दु पर सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर व ब्याज अपास्त कर अपीलीय अधिकारी के आदेश को भी निरस्त किया जाता है।

Junin 111-

लगातार.....4

a presidented

### अपील संख्या 509 एवं 510/2015/जयपुर

जहां तक व्यवहारी द्वारा बिक्रीत बैट्री चार्जर का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय Appeal No. 11486-11487 of 2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd. निर्णय तिथि 17.12.2014 का सुसंगत वर्णन निम्नानुसार है :--

- 4 -

"In view of the aforesaid facts, we find that the Assessing Authority, Appellate Authority and the Tribunal rightly held that the mobile/cell phone charger is an accessory to cell phone and is not a part of the cell phone. we further hold that the battery charger cannot be held to be a composite part of the cell phone but is an independent product which can be sold separately, without selling the cell phone. The High Court failed to appreciate the aforesaid fact and wrongly held that the battery charger is a part of the cell phone."

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को आंशिक स्वीकार किया जाता है, परन्तु अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 28 में दिनांक 06.03.2013 से संशोधन होने से प्रविष्टि सं0 1 से 27 तक के आइटम की एसेसरीज को भी 5.5 प्रतिशत की करदेयता में रख दिये जाने से दिनांक 06.03.2013 के पश्चात बैट्री चार्जर पर कर दर संशोधित दर 5.5 प्रतिशत लागू होगी। परन्तु दिनांक 06.03.2013 से पूर्व बैट्री चार्जर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2014 (उपरोक्त) के अनुसार सामान्य कर दर रहेगी।

उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार करारोपण हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते है।

9. निर्णय सुनाया गयूा ्रिआ आ प्र ( राजीव चौध सदस्य

( मदन े लॉल )